सम्बन्ध में अप्रार्थीगण संख्या 01 से 02 को ताफैसला वाद तक वादग्रस्त आराजी का रहन, बैचान, हस्तान्तरण एवं वर्तमान मौका स्थिति में परिवर्तन नहीं करने हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से निरूद्ध किया जाना विधि संगत एवं आवश्यक है।

–: आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/वादी अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली–भाँति साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 01व 02 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद पाबन्द किया जाता है कि वह वादग्रस्त आराजी ग्राम पाटन पटवार हल्का रास द्वितीय भु अभिलेख निरक्षण क्षेत्र रास तहसील जैतारण जिला पाली राज. मे सायल की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 2930 रकबा 0.0728 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2935 रकबा 5.9084 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2937 रकबा 1.3678 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2939 रकबा 2.3472 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2940 रकबा 1.7563 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2943 रकबा 1. 1493 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2938 रकबा 2.5738 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2928 रकबा 0.3966 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2936 रकबा 0.2590 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2942 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, कुल खसरा 10 कुल रकबा 15.8474 हैक्टेयर का रहन, बैचान, हस्तान्तरण इत्यादि न करे तथा वादग्रस्त आराजी में यदि प्रार्थी काश्त या काश्त मुतालिक कार्य करवावे तो न ही अप्रार्थी संख्या 01 व 02 स्वयं व न ही अपने पारिवारिक सदस्य, नोकर चाकर एवं हाली एजेन्ट किसी प्रकार की दखलन्दाजी व हस्तक्षेप करें। भूमि की वर्तमान मौका स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें। पत्रावली इसी निमित निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

(रविप्रकाश RAS)
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–ब्यावर)

निर्णय आज दिनॉक 01/04/2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(रविप्रकाश RAS)
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–ब्यावर)